# अध्याय XVII: इस्पात मंत्रालय

## केआईओसीएल लिमिटेड

### *17.1 ब्लास्ट फरनेस यूनिट में पिग कास्टिंग मशीन पर अविवेकपूर्ण व्यय*

केआईओसीएल, मेकोन और एमएसटीसी द्वारा प्रोत्साहित कुद्रेमुख आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (केआईएससीओ), बैंगलोर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना कम सल्फर कम फासफोरस पिग आयरन के उत्पादन और उसके एक भाग को डक्टाइल आयरन स्पन पाइप्स (डीआईएसपी) में परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई थी।

केआईएससीओ अपने प्रचालन के प्रथम वर्ष (2001-02) से ही लगातार हानियाँ उठा रही थी। यह केआईओसीएल की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी बन गई (जून 2006) और अन्ततः 1 अप्रैल 2007 से केआईओसीएल के साथ विलय के बाद केआईओसीएल की एक इकाई बन गई अर्थात ब्लास्ट फरनेस यूनिट (बीएफयू)। विलय के बाद भी, बीएफयू का हानि उठाना जारी रहा और 5 अगस्त 2009 से इसे बंद कर दिया गया था।

इसी बीच केआईओसीएल ने बीएफयू के लिए एक डाउनस्ट्रीम उपस्कर एक तीसरी पिग कास्टिंग मशीन (पीसीएम) लगाने का निर्णय लिया (अगस्त 2008)। यह मौजूदा दो पीसीएम के अतिरिक्त थी। तीसरे पीसीएम पर निर्णय मेकोन की सलाह पर (अक्तूबर 2007) मौजूदा मशीनों की खराबी को कामगारों को खतरे में डाले बिना ठीक करने और बीएफयू को लगातार चलाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए लिया गया था। केआईओसीएल ने डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण, उत्थापन, जांच और संस्थापना और पीसीएम की निष्पादन गारंटी जांच के लिए ₹ 3.89 करोड़ की लागत पर एक कार्य आदेश दिया (सितम्बर 2009)। केआईओसीएल ने पीसीएम की अधिप्राप्ति और प्रतिष्ठापन के प्रति ₹ 4.20 करोड़ का व्यय किया।

लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि:-

(i) यद्यपि बोर्ड ने अगस्त 2009 से बीएफयू में उत्पादन को बंद करने का निर्णय लिया (जुलाई 2009) फिर भी केआईओसीएल ने तीसरी पीसीएम के लिए कार्य आदेश जारी किया (सितम्बर 2009)। जिसे चालू नहीं किया गया था (मार्च 2013)।

(ii) मौजूदा दो पीसीएम 6 वर्षों में अपनी क्षमता से 65 प्रतिशत और बाकी के वर्षों में लगभग 75 प्रतिशत कम पर परिचालित थे।

(iii) बोर्ड ने बीएफयू के प्रचालन को तब तक निलम्बित रखने का निर्णय लिया (मार्च 2010) जब तक कि दोनों बैकवर्ड (कोक ओवन संयंत्र) और फारवर्ड आपरेशन्स (डीआईएसपी संयंत्र) का एकीकरण न हो जाए। डीआईएसी संयंत्र को पीसीएम से अपना इनपुट लेना था और इसे विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के माध्यम से भागीदारी स्थापित किया जाना प्रस्तावित था (अक्तूबर 2011)। डीआईएसपी परियोजना को लगाने की निर्णयपूर्ण अवधि आशय पत्र के जारी होने से 24 माह तक थी। मार्च 2013 तक केआईओसीएल को अभी डीआईएसपी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भागीदार ढूढंना है। इस परिदृश्य में, तीसरा पीसीएम जो जनवरी 2011 से 26 माह के लिए पहले ही निष्क्रिय हो गया था और आगे 24 माह की न्यूनतम अवधि के लिए निष्क्रिय पड़ा रहेगा जब तक डीआईएसपी परियोजना पूर्ण होगी।

कम्पनी ने कहा (जुलाई 2013) कि उसके तीसरे पीसीएम को प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लेते समय सभी पहलुओं अर्थात उत्पादकता में वृद्धि, श्रमबल की सुरक्षा आसान अनुरक्षण आदि की जांच की थी। तथापि, पिग आयरन के लिए बाजार में मंदी जोकि उनके नियंत्रण से बाहर थी, के कारण बीएफयू के संचालन को निलम्बित कर दिया गया और यह बीएफयू के संचालन को पुन:आरंभ करने के लिए सभी प्रयास कर रही थी। दो पीसीएम के संचालन के साथ सुरक्षा पहलुओं की असावधानी के अलावा बीएफयू के उत्पादन में निरन्तरता प्रभावित हो रही थी। इसके अतिरिक्त, तीसरे पीसीएम और मेटल हैंडलिंग प्रणाली के डिजाइन में प्रौद्योंगिकी सुधार हुए थे। नए पीसीएम में काफी उन्नत प्रौद्योगिकी पहलू थे।

निम्नलिखित के दृष्टिगत उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- केआईएससीओ पर मूल्यांकन टिप्पणी में (जून 2000) वित्तीय सलाहकार की राय थी कि पिग आयरन का संचालन एकल आधार पर व्यवहार्य नहीं है। केआईओसीएल के सीएमडी ने भी टिप्पणी (अगस्त 2008) की कि पहले से विनिर्मित पिग आयरन के लिए तैयार बाजार नहीं था और वह भण्डार में पड़ा हुआ था। पहली बार में बीएफयू के बंद होने के लिए भण्डार के निपटान को भी कारण बताया गया था। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए पिग आयरन का अन्तशेष स्टाक क्रमश: 20348 एमटी, 5845 एमटी और 43462 एमटी था। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि भण्डार बिना बिके पड़ा था, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी की अधिप्राप्ति में औचित्य की कमी थी। कम्पनी डीआईएसपी के लिए एसपीवी की स्थापना में सफल नहीं हो पाई जिससे पीसीएम की उपयोगिता संदेहपूर्ण हो गई।
- बीएफयू उत्पादन में निरन्तरता तीसरे पीसीएम के प्रतिष्ठापन के लिए एक व्यवहार्य कारण नहीं था क्योंकि यह पाया गया कि 2008-09 के दौरान बीएफयू को भी पिग आयरन भण्डार की निकासी के कारण बंद किया गया था। 2009 में तीसरे पीसीएम को प्रतिष्ठापित करने के निर्णय और जो समय उसे वास्तव में प्रयोग करने में लगेगा, के बीच बीतने वाले समय की पृष्ठभूमि में प्रौद्योगिकी सुधारों को देखने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितम्बर 2013) में कम्पनी के विचारों की पुनरावृत्ति की और कहा कि बीएफयू अभी भी बंद थी और कम्पनी डीआईएसपी संयंत्र और कोक ओवन संयंत्र की स्थापना का अनुकरण कर रही थी जिसे अभी पूर्त रूप दिया जाना था।

इस प्रकार, यह जानते हुए कि बीएफयू अकेले आधार पर व्यवहार्य नहीं थी और उसके परिचालन को बंद कर दिया गया था, केआईओसीएल ने तीसरे पीसीएम की स्थापना का आदेश दिया जोकि पिछले 26 महीनों से निष्क्रिय थी और आशय जारी होने से जोकि अभी तक (सितम्बर 2013) भी जारी नहीं किया गया था से कम से कम अगले 24 महीने तक निष्क्रिय पड़ा रहेगा। इसके परिणामस्वरूप निधियां निष्क्रिय हो गई और ₹ 4.20 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ।

## एमएसटीसी लिमिटेड

### 17.2 प्राप्यों की वसूली न होने के कारण हानि

**जब बाजार मूल्य गिर रहा था तब स्क्रैप के आयत के वित्तपोषण के साथ आरक्षितता सीमा में अवास्तविक वृद्धि और दस्तावेजों की वापसी की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 60.56 करोड़ की हानि हुई।**

एमएसटीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने अपने ग्राहक सेसा इन्टरनेशनल लिमिटेड (सेसा) के मददगार के रूप में कार्य किया और उसके आयातों का वित्तपोषण किया। करार (नवम्बर 2006) की शर्तों के अनुसार कम्पनी सेसा के माँग पत्र के अनुसार आयातों के लिए सहायक के रूप में क्रय आदेश का समर्थन करेगी। कम्पनी बैंक के साथ लेटर आफ क्रेडिट (एल/सी) भी खोलेगी। इस प्रकार आयात की गई सामग्री कम्पनी के पास गिरवी रहेगी और सेसा द्वारा 'नकद खरीद' के आधार पर उठाई जाएगी।

मार्च 2008 में सेसा ने कम्पनी को ₹ 10.25 करोड़ मूल्य के यूके के 5000 एमटी श्रेडिड स्क्रेप के आयात को सुकर बनाने के लिए संपर्क किया। प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और कम्पनी ने मार्च 2008 में इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) के माध्यम से एल/सी खोला। अप्रैल 2008 की मूल शिपमेंट तिथि को सेसा द्वारा बाद में विस्तारित कर सितम्बर 2008 कर दिया गया था। 4718 एमटी के कुल परेषण में से सेसा ने केवल 2632 एमटी के पहले दो परेषणों को स्वीकार किया (सितम्बर 2008) और बकाया 2086 एमटी (अक्तूबर 2008) के स्क्रेप को एल/सी की संशोधित शर्तों से संबंधित दस्तावेजों के अननुपालन के तर्क पर स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

इसके पश्चात सेसा ने दोबारा आठ ठेकों के प्रति ₹ 56.45 करोड़ मूल्य के 22000 एमटी स्टील स्कैप के आयात के वित्तपोषण हेतु कम्पनी से पहुंच की (अगस्त 2008) दिया। यद्यपि, पिछले प्रस्ताव से स्क्रेप उठाया नहीं गया था और अगस्त 2008 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में फैरस श्रेडिड स्कैप की कीमत गिरनी शुरू हो गई थी, फिर भी कम्पनी ने वर्तमान प्रस्ताव को समायोजित करने के लिए वर्तमान अरक्षितता सीमा को ₹ 60 करोड़ से बढ़ाकर (अगस्त 2008) ₹ 100 करोड़ कर दिया। तथापि, अक्तूबर 2008 और दिसम्बर 2008 के बीच सेसा

ने दोबारा 16398 एमटी स्क्रेप को एल/सी के साथ संबंधित दस्तावेज के अननुपालन के समान आधारों पर स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि जबकि कम्पनी ने विसंगति के मामूली स्वरूप के बारे में चर्चा की थी, फिर भी इसने सेसा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और आईओबी के दस्तावेजों को वापिस कर दिया जिसके साथ एल/सी खोली गई थीं। अंततोगत्वा आईओबी को अपने सौदा कराने वाले बैंकों[1] के माध्यम से लंदन में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दो आपूर्तिकारों को ₹ 52.71 करोड़ का भुगतान करना पड़ा था (अप्रैल 2009) और इसे (₹ 52.71 करोड़) ब्याज और कानूनी प्रभारों क्रमश ₹ 0.61 करोड़ और ₹ 8.57 करोड़ सहित कम्पनी से वसूली की (अप्रैल 2009 और फरवरी 2010 के बीच)। कम्पनी ने बदले में मार्च 2010 से उक्त राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज को छोड़ते हुए सेसा पर ₹ 57.08 करोड़ का दावा (मार्च 2010) अधिमान्य किया। तथापि, सेसा ने ऐसे दावे पर यह कहकर विचार करने से इंकार कर दिया कि उन्होंने कम्पनी को आवश्यक कार्रवाई हेतु दस्तावेज वापिस कर दिए थे और माल प्राप्त नहीं किया था।

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने सेसा द्वारा अस्वीकृत स्टील स्क्रेप की नीलामी कर दी थी जो हल्दिया डॉक काम्पलैक्स पर पडा हुआ था और कम्पनी को ₹ 2.23 करोड़ की राशि भेज दी (सितम्बर 2010) इसके अतिरिक्त, बकाया सामग्री के लिए ₹1.02 करोड़ की राशि का बिक्री मुनाफा प्राप्तकर्ता के पास न्यायालय के आदेशानुसार सावधि जमा के रूप में रखा गया था। अरक्षितता सीमा में अवास्तविक वृद्धि के साथ-साथ स्वीकृत रूप से मामूली विसंगति के आधार पर दस्तावेजों की वापसी की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के कारण, कम्पनी को प्राप्यों की वसूली न करने के कारण ₹60.56[2] करोड़ (दिसम्बर 2013) तक की हानि उठानी पड़ी।

कम्पनी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सेसा की अरक्षितता सीमा लम्बे व्यापारिक संबंधों के आधार पर बढ़ाई गई थी। यह भी कहा गया कि एल/सी तब खोली गई थी जब स्क्रेप की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही थी। उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि अरक्षितता सीमा वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर नहीं बढ़ाई गई थी। इसके अतिरिक्त

---

[1] ***दुबई का स्टैंडर्ड चार्टड बैंक और लंदन का फोर्टिस बैंक***

[2] ***₹62.79 करोड – ₹2.23 करोड़***

अरक्षितता सीमा अगस्त 2008 में बढाई गई थी ( ₹60 करोड़ से ₹100 करोड़)। यद्यपि, स्क्रेप की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरनी शुरू हो गई थी। कम्पनी ने आगे तर्क दिया कि सेसा द्वारा दस्तावेजों में बताई गई विसंगतियों के बारे में ऐसे दस्तावेजों के अस्वीकरण के समय पर बैंकर द्वारा बताया जाना चाहिए था। तथापि, कम्पनी एल/सी की निबंधन और शर्तों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियों को डील करते समय अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही।

मामला सितम्बर 2013 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

## *17.3 वित्तीय हितों के रक्षोपाय में विफलता के कारण हानि*

**तिरूपती फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिप्राप्ति का वित्तपोषण करते समय अपने वित्तीय हितों का रक्षोपाय करने में विफलता के कारण कम्पनी को ₹ 55.48 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।**

एमएसटीसी लिमिटेड (कम्पनी) अपने ग्राहकों के लिए सामग्री के आयात/अधिप्राप्ति के लिए सहायक के रूप में कार्य करती है। कम्पनी ने किसी औपचारिक बिना या कोई अरक्षितता सीमा निर्धारित किए बिना 2007-08 से तिरूपती फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड (टीएफपीएल) द्वारा कोकिंग कोल की अधिप्राप्ति का वित्तपोषण किया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने न तो टीएफपीएल के निष्पादन का निर्धारण किया और न ही बाहरी एजेंसियों से टीएफपीएल की कोई क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की। 2007-08 से 2008-09 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने 91116.28 एमटी के कोयले की अधिप्राप्ति का वित्तपोषण किया किन्तु टीएफपीएल ने केवल 43634.78 एमटी ही उठाया। कम्पनी को पुन: टीएफपीएल को कोयले की अधिप्राप्ति के लिए ₹ 33.61 करोड़ के अतिरिक्त वित्तपोषण का अनुमोदन (फरवरी 2010) दिया गया। यद्यपि पहले से अधिप्राप्त ₹ 136.56 करोड़ मूल्य के कोयला ऐसे ही पड़ा हुआ था जिससे वित्तपोषण बढ़कर कुल ₹ 170.17 करोड़ हो गया। टीएफपीएल ने 2009-10 तक अधिप्राप्त सामग्री का केवल 49 प्रतिशत उठाया और ₹ 91.26 करोड़ मूल्य का स्टाक बिना उठाए छोड़ दिए। तथापि, कम्पनी ने 2010-11 के लिए टीएफपीएल के लिए ₹ 200 करोड़ की अरक्षितता सीमा निर्धारित की थी (10 जून 2010)। कम्पनी ने देशज और अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोतों

से एलएएम कोक और कोकिंग कोल के आयात/अधिप्राप्ति पर टीएफपीएल के साथ औपचारिक करार किया (18 जून 2010)। करार एक वर्ष के लिए वैद्य था। 2011-12 के लिए अरक्षितता सीमा 13 मई 2011 को ₹ 175 करोड़ निर्धारित की गई थी।

कम्पनी ने कई बार (नवम्बर 2011 तक) टीएफपीएल को कोकिंग कोल की अधिप्राप्ति के लिए वित्तपोषण करना जारी रखा जबकि माल बिना उठाए पड़ा रहा। टीएफपीएल ने नवम्बर 2012 में बीआईएफआर[1] के साथ अपने आप को अपनी रूग्णता का निर्धारण करने हेतु पंजीकृत कराया, जहाँ उसे कम्पनी के देयों को स्वीकारना नहीं होता। तथापि, बीआईएफआर, ने दिसम्बर 2013 में टीएफपीएल के संदर्भ को खारिज कर दिया। कम्पनी ने दो बार (मार्च 2013) बिना उठाए माल की ई-नीलामी करने की भी कोशिश की किन्तु ऐसी बिकी में किसी भागीदार को आकर्षित करने में विफल रही। इसी बीच, कम्पनी ने यह कहते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किया (मार्च 2013) कि बीआईएफआर की सहमति के बिना कम्पनी द्वारा टीएफपीएल के प्रति कोई अवपीडक कार्रवाई नहीं की जाएगी। फरवरी 2014 तक, टीएफपीएल से ₹ 65.64 करोड़ बिना वसूली के पड़ा रहा जिसके प्रति केवल ₹ 10.16 करोड़ की प्रतिभूति जमा उपलब्ध थी।

कम्पनी ने कहा (दिसम्बर 2012 और फरवरी 2014) कि प्राप्यों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे और आगे स्वीकार किया (फरवरी 2014) कि उसने उच्च न्यायालय के समक्ष उसके बाद के आदेश को वापिस लेने के लिए एक आवेदन किया और माल की बिक्री के लिए बीआईएफआर से सम्पर्क किया। तथापि, कम्पनी टीएफपीएल के पुराने होते हुए स्टाक को बिना उठाए बिक्री और अपने बकाया प्राप्यों की वसूली करने में असमर्थ थी, जिसकी वसूली की राशि ₹55.48 करोड़[2] थी और जो दूरस्थ प्रतीत होती है। इस प्रकार, कम्पनी अपने वित्तीय हितों के रक्षोपाय में विफल रही और टीएफपीएल को उसके निष्पादन का मूल्यांकन किए बिना अतिरिक्त वित्तपोषण के कारण ₹55.48 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

मंत्रालय को मामला सितम्बर 2013 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

---

[1] ***औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड***

[2] ***₹ 65.64 करोड़ घटा ₹ 10.16 करोड़***

## *17.4 आयातों के अवास्तविक वित्तपोषण के कारण वसूली न होना*

**असंतोषजनक वित्तीय निष्पादन सहित एक ग्राहक के लिए आयातों के वित्तपोषण के कारण ₹ 28.73 करोड़ की वसूली नहीं हुई।**

एमएसटीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने सामग्री का आयात करने के लिए अपने ग्राहकों के लिए सहायक के रूप में कार्य किया। मेहरकिरन एन्टरप्राइजेज लिमिटेड (एमकेईएल) द्वारा सम्पर्क करने पर (जून 2008), कम्पनी को इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि एमकेईएल के पास 31 मार्च 2008 को ₹11.72 करोड़ की अपनी निधि के प्रति ₹ 28.62 करोड़ की देयताएं थी फिर उसने किसी करार पर हस्ताक्षर किए बिना जो उसकी विपणन नियम पुस्तिका के प्रावधानों का उल्लंघन था ₹ 55 करोड़ के मूल्य वाले आयातित कोल की अधिप्राप्ति का वित्तीय पोषण करने का निर्णय लिया (अगस्त 2008)। कम्पनी ने एमकेईएल द्वारा आयातित ₹60 करोड़ मूल्य के कोयले (27500 एमटी) के लिए वित्तपोषण किया (अगस्त 2008)। तथापि, एमकेइएल ने केवल ₹ 4.15 करोड़ मूल्य के 1825 एमटी कोयले को उठाया और बकाया मात्रा को इस तर्क पर नहीं उठाया गया कि बाजार में कोयले की कीमत में काफी गिरावट आई थी।

कम्पनी ने कोयले के आयात के आगे वित्तपोषण के साथ-साथ पहले (अगस्त 2008) आयातित कोयले के वित्तपोषण को नियमित करने के लिए बाद में एमकेइएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) किया (जुलाई 2009)। एमओए का मूल उद्देश्य अगस्त 2008 में अधिप्राप्त उच्च मूल्य वाले आयातित कोयले की औसत कीमत को कम करना और कम्पनी द्वारा एमकेइएल को देय ₹ 2000 प्रति एमटी के सहमत रूपांतरण प्रभारों पर ऐसे कोयले को कोक में परिवर्तित करना था। बकाया देयों को चुकाने के लिए ऐसे रूपांतरित कोक की पूरी बिक्री आय कम्पनी द्वारा प्राप्त की जानी थी।

कम्पनी ने नवम्बर 2009 और नवम्बर 2010 के बीच ₹ 57.22 करोड़ मूल्य के 50448 एमटी कोयले की अधिप्राप्ति हेतु वित्तपोषण किया। यद्यपि अगस्त 2008 में अधिप्राप्त कोयले की पूरी मात्रा और उसके बाद अधिप्राप्त 47052.56 एमटी* को उठा लिया गया था और उसे कोक में रूपांतरित कर दिया गया, इसकी बिक्री आय एमकेइएल से पूरे देयों की वसूली के लिए

** 50448 एमटी – 3395.74 एमटी बिना उठाए पड़ी थी।*

पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने एमकेईएल को रूपांतरण प्रभारों के प्रति ₹4.54 करोड़ का भुगतान किया था (सितम्बर 2012)।

आगे अगस्त 2012 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान कम्पनी ने एमकेईएल द्वारा ₹ 26.18 करोड़ मूल्य के 23666 एमटी कोयले की अधिप्राप्ति वित्तपोषित की थी जिसमें से 15842 एमटी जनवरी 2014 तक बिना उठाए पड़ा था। एमकेईएल का बकाया देय ₹ 56.59 करोड़ रहा (जनवरी 2014)। कम्पनी ने एमकेईएल द्वारा प्रस्तुत ₹ 11.95 करोड़ की प्रतिभूति जमा के अलावा ₹ 13.91 करोड़ के कोयले[1] को प्रतिभूत किया था और समर्थक प्रतिभूति के रूप में ₹ 2 करोड़ (लगभग) मूल्य की भूमि को गिरवी रखा था। इस प्रकार कम्पनी ₹ 28.73[2] करोड़ (जनवरी 2004) की वित्तीय हानि को देख रही है क्योंकि एमकेईएल से प्राप्यों की उगाही की संभावना दूरस्थ है।

कम्पनी का तर्क (दिसम्बर 2012) कि कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी क्योंकि कोयला कम्पनी के पास रखा हुआ था स्वीकार्य नहीं है चूँकि ग्राहक के परिसर में पड़े हुऐ कोयले का मूल्य एमकेईएल से कुल बकाया प्राप्यों की वसूली के लिए पर्याप्त नही था। इस प्रकार इसके असंतोषजनक वित्तीय निष्पादन के बारे में जानकारी होने के बावजूद एमकेईएल को आयातों के अवास्तविक वित्त पोषण के कारण ₹ 28.73 करोड़ की वसूली नही हुई।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2013 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

## स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

### *17.5 परिहार्य भाड़ा व्यय*

**केप्टिव खानों से आईएसपी बर्नपुर को लौह अयस्क के परिवहन के लिए रिआयती श्रेणी 180 दर का लाभ उठाने में अपेक्षित दस्तावेजीकरण पूर्ण करने में विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹10.74 करोड़ का परिहार्य उच्चतर भाड़ा वहन करना पड़ा था ।**

---

[1] *कोयले के लिए ₹ 12.91 करोड़ और कोक के लिए ₹ 1 करोड़*

[2] *₹ 56.59 करोड़-(₹ 12.91 + ₹1.00 + ₹ 11.95 + ₹ 2.00) करोड़*

रेलवे बोर्ड ने 2009 की दर परिपत्र में (आर सी) संख्या 36 में लौह और इस्पात के विनिर्माण में घरेलू खपत के लिए लौह अयस्क के रेलगाड़ी लदान परिवहन के लिए श्रेणी 180 दर अधिसूचित की थी । इसमें भी अनुबद्ध किया गया था कि यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी की जाएं तो यातायात पर दूरी आधारित प्रभार नहीं लगाया जाएगा:

(i) दस्तावेजो* की एक बार प्रस्तुती

(ii) त्रैमासिक आधार पर सुसंगत मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न की प्रमाणित प्रतियों की प्रस्तुती।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल या कम्पनी) का आईआईएससीओ स्टील संयंत्र बर्नपुर (आईएसपी) स्टील संयत्रों में उपभोग के लिए केप्टिव खानों से लौह अयस्क के परिवहन के लिए भारतीय रेल की सेवाओं का उपयोग करता है। आईएसपी को 6 जून 2009 से प्रभावी श्रेणी 180 दर का लाभ लेने के लिए उपरोक्त शर्ते को पूरा करना चाहिए था ।

लेखापरीक्षा जॉच में पता चला कि भारतीय रेलवे द्वारा मार्च 2011, जून 2011 ओर जुलाई 2011 में बार बार अनुस्मारकों के बावजूद आईएसपी ने इन शर्तो को पूरा नही किया था। अन्ततः भारतीय रेल ने 18 सितम्बर 2011 से आईएसपी को श्रेणी-180 से विमुक्त कर दिया और निर्यातों पर लागू उच्च भाडा दर प्रभारित की जिसके परिणामस्वरूप आईएसपी को 18 सितम्बर 2011 और 22 अक्टूबर 2011 के बीच रूपये 10.74 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा । भारतीय रेल ने आईएसपी प्रबन्धन द्वारा आरसी-36 के तहत वांछित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दिनांक 21 अक्टूबर 2011 द्वारा आईएसपी केा श्रेणी 180 अनुमत की।

---

* ***इस्पात मंत्रालय के तहत संयुक्त संयंत्र समिति से औद्योगिक उद्यमि ज्ञापन (आईईएम) या प्रमाणपत्र सहित जिसमें संयंत्र की लाइसेंसड क्षमता या साक्षेठ और संबद्ध मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की प्रति हो, वर्तमान वर्ष के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन की सहमति, चालू वित्तीय वर्ष के लिए फैक्ट्री लाइसेंस, संविदा श्रम अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाण पत्र, चालू माह से पूर्व माह के लिए मासिक उत्पाद शुल्क रिटर्न, निर्धारित प्रारूप में गैर न्यायिक स्टाम्प मेपर पर शपथ पत्र जो यह प्रमाणित करता हो कि उनकी साइडिंग में केवल घरेलू खपत के लिए लौह अयस्क प्राप्त किया जाएगा, और धरेलू लौह अयस्क के रूप में निर्यात लौह अयस्क के गलत ब्यौरे या समय समय पर रेलवे द्वारा निर्धारित नियमों के किसी प्रकार के दुरूपयोग के प्रति रेलवे को स्टाम्प क्षतिपूर्ति नोट या क्षतिपूर्ति करना।***

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि उसने जून 2009 से मार्च 2011 के दौरान वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई नही की क्योंकि आरसी - 36/2009, आरसी-24/2008 का एक आशोधित परिपत्र था, आर सी -36/2009 के अनुसार प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेज/रिटर्न आरसी-24/2008 के अनुसार वांछित दस्तावेजों के समान थे, इसलिए संशोधित आरसी में दस्तावेजों की पुन: प्रस्तुती की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया था, मार्च-जुलाई 2011 के दौरान भारतीय रेल से प्राप्त हुए प्रत्येक पत्राचार पर उचित कार्रवाई की गई थी; और उसने की गई अधिक कटौती के प्रतिदाय के लिए दावा किया था । मंत्रालय ने प्रबन्धन के विचारो की पुनरावृत्ति की (फरवरी 2014)।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि आईएसपी/कम्पनी ने दिनांक 1 जून 2009 के परिपत्र में यथा अनुबद्ध शर्तो का अनुपालन करने में शीघ्र कार्रवाई नही की । आईएसपी की विलम्बित कार्रवाई भी पूरी नहीं थी । 26 जुलाई 2011 को रेलवे को प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र और क्षतिपूर्ति बंध पत्र रेलवे द्वारा 4 अगस्त 2011 को वापिस कर दिए गए क्योंकि दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र मे नही थे। काटे गए अधिक भाड़े के प्रतिदाय के लिए आईएसपी का अनुरोध भी अभी तक रेलवे द्वारा स्वीकार नही किया गया (दिसम्बर 2013)।

इस प्रकार, केप्टिव खानों से आईएसपी बर्नपुर को लौह अयस्क के परिवहन के रिआयत श्रेणी 180 का लाभ उठाने के लिए वांछित दस्तावेजीकरण पूरा करने में विलम्ब के कारण कम्पनी को ₹10.74 करोड़ का परिहार्य उच्चतर भाड़ा व्यय करना पड़ा था ।

## *17.6 वी आई एस पी/सेल में रीहीटिंग फरनेस के चालू करने में विलम्ब*

**कार्य के क्षेत्र का निर्णय लेने में योजना और तकनीकी यथोचित परिश्रमिता की कमियो के कारण नए आरएचएफ के चालू करने में 58 महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ। ₹ 9.85 करोड़ का व्यय करने के बाद भी स्केल हानि और फरनेस तेल की खपत कम न होने के कारण नए आरएचएफ से ₹ 28.36 करोड़ की कल्पित बचतों की प्राप्ति नही हुई।**

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट (वी आई एस पी) भद्रावती, कर्नाटक के दो रीहीटिंग फरनेस (आरएचएफ) हैं प्रत्येक की निर्धारित क्षमता 15 टन प्रति घंटा (टीपीएच) है जो प्राथमिक मिल की रीहीटिंग और रोलिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। 1965-66 में प्रतिस्थापित यह आर एच एफ अपना उपयोगी जीवन समाप्त कर चुका था एवं बुनियादी डिजाइन सीमाओं के कारण स्केल (2.5 प्रतिशत से अधिक) का असामान्य सृजन हुआ और आधुनिक भट्टियों द्वारा खपत किए जाने वाले लगभग 50 लीटर /टन की तुलना में यह आउटपुट के 75 लीटर/टन से अधिक फरनेस तेल की खपत कर रहे थे।

सेल के एक आन्तरिक परामर्श विंग इंजीनियरिगं और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईटी) ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की ओर दो आरएचएफ को 30 टीपीएम क्षमता वाले एक नए आरएचएफ से बदलने की सिफारिश (जनवरी 2006) की जो कि अधिक ऊर्जा कुशल होगा और स्केल हानि में कमी के कारण 1 प्रतिशत तक प्राथमिक मिल की समस्त उत्पादन में वृद्धि के अलावा प्रति टन 53 लीटर भट्ठी तेल की खपत होगी। सीईटी ने रूपये 8.79 करोड़ की पूंजी के निवेश और कुल बचत अनुमानित की जो प्रति वर्ष परियोजना से रूपये 9 करोड़ वीआईएसपी को प्राप्त होगी।

वीआईएसपी ने रूपये 10 करोड़ की निश्चित ठेका कीमत (सेनवेट का निवल) पर आरएचएफ के डिजाइन आपूर्ति उथापन, जॉच करने और संस्थापित करने के लिए मैसर्स वेजमैन इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड कोलकाता (ठेकेदार) को एक आदेश प्रस्तुत किया (मार्च 2008)। ठेकेदार को 12 महीने अर्थात 28 फरवरी 2009 तक सुविधाओं का संस्थापन करना था । तथापि, नया आरएचएफ, 31 जनवरी 2014 तक 58 महीनों के बीत जाने के बाद भी चालू नहीं हो सका था।

लेखापरीक्षा जॉच मे ड्राइंग को अन्तिम रूप देने में 22 महीने, पहले जॉच में पाई गई त्रुटियों के सुधार में 16 महीने और दूसरी जांच में पाई गई त्रुटियों के सुधार में 8 महीने के विलम्ब का पता चला। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि संविदा की सीईटी व्यवहार्यता रिपोर्ट और प्रावधान में विस्तृत डिजाइन, इंजीनियरिंग और ड्राइंग दस्तावेजो के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन में चार महीने प्रदान किए गए थे। तथापि वीआईएसपी ने ड्राइंग की प्रस्तुती और अनुमोदन के लिए शिष्टाचार को अन्तिम रूप देने

की बैठक आयोजित करने मे केवल साढे तीन महीने का समय ले लिया। इसके परीणामस्वरूप, वीआईएसपी निरन्तर उच्चतर स्केल हानियां और भट्ठी तेल खपत पर व्यय करता रहा।

प्रबन्धन ने ठेकेदार के अपर्याप्त परियोजना प्रबंयधन के लिए परियोजना के सस्थापन और ड्राईगं के प्रस्तुतिकरण/अनुमोदन में विलम्ब तथा प्रारम्भिक स्वीकरण एवं जॉच के, बाद डिजाइन में आशोधन और परिर्वतनों मे विलम्ब को माना (जनवरी 2014)।

उत्तर इस तथ्य का खण्डन नही करता कि परियोजना के पूरा होने से अपर्याप्त विलम्ब हुआ था जिसने ऊर्जा दस आरएचएफ के अविलाभ से वीआईएसपी को वंचित किया। कार्य के स्कोप का निर्णय लेने में सीईटी की ओर से दोषपूर्ण योजना एवं तकनीकी उचित परिश्रमिता के अभाव से प्रारम्भिक स्वीकरण के पश्चात डिजाइन में आशोधन और परिर्वतनो की आावश्यकता हुई।

इस प्रकार उचित योजना के अभाव, ठेकेदार एवं वीआईएसपी के मध्य तकनीकी उचित परिश्रमिता तथा समन्वय के परिणामस्वरूप अनुबद्ध समय के अन्दर आरएचएफ का संस्थापन नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.85 करोड़ का व्यय करने के बावजूद भी अपेक्षित स्केल हानि और फरनेस तेल की खपत कम न होने के कारण नए आरएचएफ से ₹28.36 करोड़ की कल्पित बचता की प्राप्ति नही हुई थी।

मामला फरवरी 2014 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।